सं. ई-12012/01/2020-हिन्दी-डीजीएचएस/665-764
भारत सरकार
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
(हिन्दी अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 16./12/2020

विषय: वर्ष 2021 में केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा चलाये जाने वाले **ऑनलाइन** प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, राजभाषा अधिकारी के लिए ऑनलाइन अभिमुखी कार्यक्रम तथा कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन गहन हिन्दी कार्यशाला कार्यक्रमों के संबंध में

कृपया उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के दिनांक 02.11.2020 के पत्रों सं. 19011/26/2020/केहिप्रसं./अल्प.ग.प्रशि/1505-2004, 19011/25/केहिप्रसं/अल्प.ग.प्रशि./1005-1504 और 19011/24/केहिप्रसं/अल्प.ग.प्रशि./505-1004 (प्रतिलिपियां संलग्न) का संदर्भ लें जिसके तहत केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वर्ष 2021 में चलाये जाने वाले प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, राजभाषा अधिकारियों के लिए अभिमुखी कार्यक्रम तथा विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए गहन हिन्दी कार्यशाला कार्यक्रमों के आयोजन संबंधी सूचना भेजी है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम **ऑनलाइन** चलाये जाएंगे, जिनके संबंध में विस्तृत जानकारी उक्त संदर्भित पत्रों में दी गयी है।

2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के सभी अनुभागों/प्रकोष्ठों और सभी नियंत्रणाधीन कार्यालयों से अनुरोध है कि उपर्युक्त उल्लिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अधिक से अधिक पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों का नामांकन अनुलग्नक 1 में विहित प्रपत्र में प्राथमिकता के आधार पर इस अनुभाग को सूचित करते हुए **ईमेल** द्वारा **सीधे केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान को भेजें** ।

संलग्नक: यथोपरि

(लक्ष्मी गर्ग)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

अनुभाग अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के समस्त अनुभाग/प्रभाग/प्रकोष्ठ

प्रतिलिपि:

1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ ।
2. निदेशक (सीएसपी), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को सूचनार्थ ।
3. महानिदेशालय के सभी नियंत्रणाधीन कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
4. सुश्री सुमन लाल, प्रभारी निदेशक, 2 ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली- 110011 को उनके दिनांक 02.11.2020 के पत्रों सं. 19011/26/2020/केहिप्रसं/अल्प.ग.प्रशि./1505-2004, 19011/25/केहिप्रसं/अल्प.ग.प्रशि./1005-1504 और 19011/24/केहिप्रसं/अल्प.ग.प्रशि./505-1004 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
5. प्रभारी, आईटी प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।